

10/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान अनुपस्थित
न्यायालय समय में बार-बार आवार्ज लगाई
गई। उसके उपरान्त भी कोई दायिर नहीं हुए
न्यायालय समय समाप्त हो चुका है।
पक्षकारान के दायिर नहीं देने की
वजह से वाद अदम दायरी अदम पैरवी
में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम की जाकर दायिर
दफ्तर हो।


न्यायक कलक्टर. घोबिला

